

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) बांसवाडा

क्रमांक एफ 32()/स्थापना/नियुक्ति/2018/1010


दिनांक 10.09.2018

संशोधित संक्षिप्त-विज्ञप्ति

इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक एफ 32()/स्थापना/नियुक्ति/2018/1007 दिनांक 07.09.2018 द्वारा जिले की 94 उचित मूल्य दुकानों के लिये प्रथम चरण में संस्थागत आवेदको से आवेदन आमंत्रित करने सबधी संक्षिप्त-विज्ञप्ति राजस्थान पत्रिका के दिनांक 08.09.2018 के संस्करण में प्रकाशित की गई थी। उक्त विज्ञप्ति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-


1. क्र.सं. 19 (रिक्त) पर बागीदौरा भाग-द्वितीय के स्थान पर बागीदौरा तृतीय पढा जावें।
2. क्र.सं. 20 (अतिरिक्त) पर मोनाडूंगर भाग-तृतीय को विलोपित किया जाता है।
3. भुवासा भाग-द्वितीय तहसील गनोडा (रिक्त) की उचित मूल्य दुकान जोडी जाती है।

शेष शर्ते यथावत रहेगी।


जिला कलक्टर (रसद),
बांसवाडा

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, घाटोल/बागीदौरा।
4. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बांसवाडा को प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
5. सहायक निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग बांसवाडा को जिले के वेब पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
6. प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक।
7. सम्पादक महोदय राजस्थान पत्रिका उक्त विज्ञप्ति सरकारी दर पर प्रकाशित करावें।
8. रक्षित पत्रावली ।


जिला रसद अधिकारी
बांसवाडा